



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बुधवार, 6 अगस्त, 2014

श्रावण 15, 1936 शक समवत्

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-13

संख्या 491/एक-13-2014-7क(51)-2014

लखनऊ, 6 अगस्त, 2014

अधिसूचना

विविध

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) की धारा 3 के खण्ड (ड) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल अधिसूचित करते हैं कि समस्त जिला कलेक्टरों को अपने क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर पृथक-पृथक परियोजना के लिए 100 एकड़ से अधिक क्षेत्र के अर्जन के लिये समुचित सरकार के रूप में समझा जायेगा।

आज्ञा से,
कै० एस० अटोरिया,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 491/I-13-2014-7ka(51)-2014, dated August 6, 2014.

No. 491/I-13-2014-7ka(51)-2014

Dated Lucknow, August 6, 2014

IN exercise of the powers conferred by the proviso to clause (e) of section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no. 30 of 2013), the Governor is pleased to notify that all District Collectors shall be deemed as appropriate Government for acquisition of the area not in excess of 100 acres for an individual project within their territorial jurisdiction.

By order,
K. S. ATORIA,
Pramukh Sachiv.

प्र०एस०यू०पी०-ए०पी० 231 राजपत्र (हिं.)-2014-(634)-588 प्रतिया (कम्प्यूटर / टी०/आफ्स०)

प्र०एस०यू०पी०-ए०पी० 4 सं० राजस्व-2014-(635)-1000 प्रतिया (कम्प्यूटर / टी०/आफ्स०)